न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर

बनाम

अभियुक्त

1. श्री भीख सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, जाति-राजपुरोहित (विक्रेता)
   मैसर्स रवि जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला- सिरोही
   निवासी- बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला- सिरोही
2. श्री पारस सिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह,
   (खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक)
   मैसर्स रवि जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला- सिरोही
   निवासी- बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्या: 05/2018

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री शैतान खरोर, अभियुक्तगण की ओर से
2. अभियुक्त भीखसिंह व पारससिंह स्वयं

-: निर्णय :- दिनांक 04 जुलाई, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 17.10.2017 को समय 4.30 पी.एम. पर आवेदक विजयकांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौरानें गश्त चैकिंग मैसर्स रवि जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला- सिरोही पर पँहुचा व अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। उक्त दुकान में विक्रेता की हैसियत से भीखसिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, जाति- राजपुरोहित उपस्थित मिले। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में फ्रिज में 3 किलोग्राम खोया (मावा) रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता को भरकर दी व प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है, जो मूल ही संलग्न है। गवाहान के समक्ष विक्रेता को उसके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रुपये 250/- नकद देकर एक किलोग्राम खोया (मावा) को एक साफ सूखी खाली स्टील की ट्रे में खरीदा एवं रुपयों की रसीद प्राप्त की, जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर है, जो मूल ही

....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०) ★

संलग्न है। विक्रेता व गवाहान के समक्ष उक्त खरीदशुदा खोया (मावा) को चार साफ, सूखी, खाली चौडे मुंह की प्लास्टिक की शीशीयों में बराबर बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में 20-20 बूंद फॉर्मेलीन डालकर शीशीयों के मुंह को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया व मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-770, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ आदि का नाम अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान व मैनें हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों शीशीयों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को रेपर में लपेटकर अलग अलग कागज में रखकर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-770 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लीप को क्रोस करते हुए विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता, गवाहान व मैनें हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फिर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुचकर फार्म नं. 6 की प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया था। चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व मजबूत धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया एवं फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से लिफाफे में बंद कर गोंद से चिपकाकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा मेरे द्वारा दिनांक 18.10.2017 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को दिनांक जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 18.10.2017 को मेरे द्वारा शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक 5382-84 दिनांक 18.12.2017 के संलग्न खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:एलएस/1126/एक्ट/2017/1126 दिनांक 24.11.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ खोया (मावा) का नमूना S-770 अमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) खाद्य पदार्थ खोया (मावा) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान खरोर उपस्थित हुये। प्रकरण में नियत

....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

सुनवाई दिनांक 04.7.2018 को अभियुक्तगण ने अपने अधिवक्ता ने साथ इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपराध स्वीकारोक्ति का स्वेच्छा से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया।

(3) प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 04.7.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपराध स्वीकार कर लिये जाने से अभियुक्तगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि अभियुक्तगण ने खाद्य पदार्थ मावा का निर्माण नही किया है, अभियुक्तगण ने उक्त खाद्य पदार्थ मावा बाहर से खरीद कर लाया था। अभियुक्तगण ने खाद्य पदार्थ मावा में कोई मिलावट नही की है एवं न ही उक्त खाद्य पदार्थ मावा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक पाया गया है। केवल उक्त खाद्य पदार्थ मावा में मिल्क फेट कम होने से अमानक स्तर का पाया गया है। यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया मैसर्स रवि जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर पर अभियुक्त भीख सिंह नौकरी करता है व उक्त रवि जोधपुर मिष्ठान भण्डार के मालिक अभियुक्त पारससिंह है, इसलिये अभियुक्त भीखसिंह को दोषमुक्त कर उक्त परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त पारससिंह पर कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि आवेदक श्री विजय कांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.10.2017 को समय 4.30 पी.एम. पर दौरानें गश्त चैकिंग मैसर्स रवि जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला- सिरोही पर गये। उक्त दुकान में विक्रेता की हैसियत से भीख सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, जाति- राजपुरोहित उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान के फ्रिज में 3 किलोग्राम खोया (मावा) आम जनता को विक्रय के लिये रखा हुआ था। उक्त खाद्य पदार्थ खोया (मावा) में मिलावट का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना विक्रेता भीख सिंह को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गवाह के समक्ष विक्रेता भीख सिंह को बाजार भाव से राशि रुपये 250/- (अक्षरे रुपये दो सौ पचास मात्र) नकद अदा कर 1 (एक) किलोग्राम खोया (मावा) को हिला मिलाकर एक रुप कर करके एक साफ सुखी खाली स्टील की ट्रे में खरीदा एवं रुपयों की रसीद प्राप्त की। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता भीख सिंह एवं गवाह श्री रामलाल पुत्र बदाजी प्रजापत, बस स्टेण्ड, रेवदर तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व उक्त गवाह के समक्ष उक्त खरीदशुदा खोया (मावा) को चार भागों में बराबर-बराबर कर 4 साफ सूखी खाली चौडे मुंह की प्लास्टिक की शीशीयों में भरकर प्रत्येक शीशी में 20-20 बूंदे फॉर्मेलीन

....पेज चार पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही-307001.

की डालकर शीशीयों के मुंह को ढककन से एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-770, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-770 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व उक्त गवाहान के पेपर स्लिप क्रोस करते हुए हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत मैसर्स रवि जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड, रेवदर में विक्रेता भीख सिंह से खाद्य पदार्थ खोया (मावा) का नमूना जांच हेतु कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में रखकर लिफाफे को सील चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.10.2017 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.10.2017 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर- 6 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ खोया (मावा) के नमूना संख्या S-770 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1126/Act/2017/1126 दिनांक 24.11.2017 के अनुसार आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स रवि जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड, रेवदर में विक्रेता भीख सिंह से वास्ते नमूना जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ खोया (मावा) अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि

.....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

मैसर्स रवि जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड, रेवदर में विक्रेता भीख सिंह द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) का खाद्य पदार्थ मावा (खोया) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि उक्त मैसर्स रवि जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, रेवदर में अभियुक्त भीख सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, जाति- राजपुरोहित नौकरी करता है एवं उक्त मैसर्स रवि जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, रेवदर का मालिक अभियुक्त पारसिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह, निवासी- बस स्टेण्ड़, रेवदर है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अभियुक्त पारससिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स रवि जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, रेवदर, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त अभियुक्त पारससिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स रवि जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, रेवदर, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही